न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–32/2016 (2016/00367) दर्ज दिनांक 09.09.2016

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

नंदलाल आत्मज बोतमल शर्मा निवासी सुरावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा।

–विपक्षी

वकिल प्रार्थीः–श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

विपक्षीः– पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 18.01.2021

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सुरावास प0ह0 सुरावास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में नवीन खाता संख्या 1 में अंकित आराजी संख्या 440/1 रकबा एक बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 तक मय नक्शे के साथ पेश है।

यह कि तत्पश्चात् उक्त आराजी संख्या 440/1 श्रीमान् जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक आबादी /75/2176–77 दिनांक 05.12.1975 के अनुसार आबादी में परिवर्तन हुई है। प्रमाण में नामान्तरण संख्या 653 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

यह कि उक्त आराजी आबादी में परिवर्तन होने के बाद ग्राम पंचायत सुरावास ने निलामी प्रारम्भ की जिस पर मुझ प्रार्थी की अधिकतम बोली 1505/– रूपया होने से उक्त बोली मुझ प्रार्थी के नाम पर छोड़ी [illegible] मुल्य की राशि 1505/– रूपये ग्राम पंचायत सुरावास में जमा कराने पर [illegible] दिनांक 02.02.1987 को मुझ विपक्षी के पक्ष में विकय विलेख का निष्पादन [illegible] सब रजिस्ट्रार सहाड़ा मु0 गंगापुर के यहां करवाया है। प्रमाण [illegible] विलेख साथ संलग्न [illegible] तब से ही उक्त आराजी पर मुझ प्रार्थी का ही कब्जा निरन्तर नि[illegible] रूप से चला आ रह[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.22 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

यह कि ग्राम सुरावास का नवीन भुप्रबंध होने पर उक्त आराजी संख्या 440/1 रकबा एक बिस्वा के नवीन नम्बर – 400 रकबा 0.02 हे0 कायम किये गये है। प्रमाण में नकल मिलान क्षेत्रफल साथ संलग्न है।

यह कि भूप्रबंध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजस्व रेकार्ड में फेरबदल करने का कोई कानुनी अधिकार प्राप्त नही होते हुए भी उन्होंने गैर कानुनी तरीके से उक्त आराजी संख्या 400 को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज कर दी है जिससे राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कराई जाकर आराजी संख्या 400 रकबा 0.02 हे0 भूमि को पुनः आबादी में दर्ज करवाई जाकर 0.01 हे0 भूमि को मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज कराया जावें।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सुरावास तहसील सहाड़ा में स्थित आराजी संख्या 400 रकबा 0.02 हे0 भूमि को बिलानाम सरकार से आबादी में दर्ज कराई जाकर उक्त आराजी रकबा में से 0.01 हे0 भूमि मुझ प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण दिनांक 09.09.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी राजकीय पेरोकार नायब तहसीलदार ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 को रेकार्ड अनुसार स्वीकार किया, पेरा संख्या 2 में नामान्तरण संख्या 653 के कॉलम नं0 12 में मशकरी (कटिंग) है आराजी नं0 440/1 स्पष्ट नहीं होता है अतः अस्वीकार है। पेरा संख्या 3 में विक्रय विलेख में आराजी नं0 440/1 रकबा 0.01 का कही उल्लेख नहीं है साथ विक्रय विलेख के साथ संलग्न नक्शे में भी आराजी नं0 अंकित नहीं है अतः अस्वीकार है। पेरा संख्या 4 रेकार्ड अनुसार आंशिक अस्वीकार है पेरा संख्या 5 लगायत 8 न्यायिक है। एवं पेरा 9 के अनुसार जमाबंदी 2031 से 2034 में आराजी नं0 440/1 रकबा 1 के सामने नामान्तरण संख्या 697 से डालचंद पिता रतनलाल के नाम दर्ज करने का दाखला लगा हुआ है परन्तु जाति अंकित नहीं है।

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में साबिक राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी की नकल एवं साबिक नक्शा, मिलान क्षेत्रफल एवं नवीन राजस्व जमाबंदी एवं नक्शे की नकल पेश की है। जिनसे भी प्रथम दृष्टया भुप्रबंध के कार्यवाही के दौरान भुप्रबंध अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही एवं गड़बड़ी प्रमाणित है। अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.22 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :–32/2016 (2016/00367)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उक्तानुसार बहस पेरोकार सरकार का जवाब एवं रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया । भूप्रबंध अधिकारी के भूमापक द्वारा नक्शा लट्ठा मौके की तत्समय की आकृतियों को मध्यनजर रखते हुए विभाजन करते हुए नवीन राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा बनाया गया है। तथा साथ ही पेरोकार सरकार द्वारा प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया जिससे सावित होता है कि ग्राम सुरावास का नवीन भुप्रबंध होने पर उक्त आराजी संख्या 440/1 रकबा एक बिस्वा के नवीन नम्बर – 400 रकबा 0.02 हे0 कायम किये गये है। भूप्रबंध के दौरान उक्त आराजी संख्या 400 को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज कर दी है जिससे राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कराई जाकर आराजी संख्या 400 रकबा 0.02 हे0 भूमि को पुनः आबादी में दर्ज करवाई जाकर 0.01 हे0 भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज कराया जाना न्यायोचित है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम सुरावास तहसील सहाड़ा में स्थित आराजी संख्या 400 रकबा 0.02 हे0 भूमि को बिलानाम सरकार से आबादी में दर्ज की जावें एवं उक्त आराजी रकबा में से 0.01 हे0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 3.
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.22 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner